कैलारस से ऋषिकेश गईं मां-बेटी गंगा नदी में डूबीं

रेस्क्यू जारी, संत दयारामदास महाराज के आश्रम पर गुरू पूर्णिमा में शामिल होने गए थे

नवभारत न्यूज

मुरैना, 9 जुलाई। गुरू पूर्णिमा के मौके पर ऋषिकेश स्थित संत दयारामदास महाराज के आश्रम में आयोजित होने वाले गुरू पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होने पहुंचीं महिला और उसकी पुत्री गंगा नदी में नहाते समय पानी में डूब गई। एसडीआरएफ के जवानों द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाकर उनकी तलाश की जा रही है।

जानकारी के अनुसार मूलत: सुमावली क्षेत्र के सुसानी गांव के रहने वाले रामनिवास उपाध्याय बीते कई सालों से अपने परिवार के साथ कैलारस में रह रहे है। 7 जुलाई को रामनिवास की पत्नी श्रीमती ऊषा देवी के साथ मनीष पुत्र रामनिवास, श्रीमती मनु 40 पत्नी मनीष उपाध्याय, कुं. गौरी 18 पुत्री मनीष उपाध्याय और मनीष का पुत्र अपने गुरू दयारामदास महाराज के आश्रम पर 10 जुलाई को होने वाले गुरू पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होने घर से निकले थे। वे सभी ऋषिकेश में संत दयारामदास महाराज के आश्रम पर ठहरे हुए थे। 9 जुलाई बुधवार की सुबह जब वे नहाने के लिए गंगा नदी के घाट पर पहुंचें थे। तभी नहाते समय पानी के तेज बहाव में मनु उपाध्याय और उसकी पुत्री गौरी उपाध्याय बह गए। घाट पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर उनकी तलाश शुरू कर दी। देर शाम तक रेस्क्यू अभियान चल रहा था। नदी में डूबीं मनु और उसकी पुत्री गौरी को पानी से बाहर निकाला नहीं जा सका था।

इनका कहना है...

महिला मनु उपाध्याय और उसकी पुत्री गौरी के नदी में डूबने की घटना मुनि की रेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। एसडीआरएफ के जवानों द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों की नदी में तलाश की जा रही है।

- इंस्पेक्टर कविन्द्र, सजवाण एसडीआरएफ, ऋषिकेश

कैलारस-पहाड़गढ़ रोजगार मेलों में 108 युवा चयनित

नवभारत न्यूज

मुरैना, 9 जुलाई। कैलारस व पहाडग? विकासखण्ड में मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। रोजगार मेले में 137 युवाओं ने पंजीयन कराया। जिनमें विभिन्न कंपनियों ने 108 युवाओं का चयन किया।

इस अवसर पर जिला परियोजना प्रबंधक दिनेश सिंह तोमर, जनपद सीईओ कैलारस रामपाल करजरे, विकासखण्ड प्रबंधक सुरजीत सिंह चौहान, सहायक विकासखण्ड प्रबंधक प्रदीप मंडेलिया के सहयोग से संपन्न हुआ। जिसमें एसआईएस सिक्योरिटी प्रायवेट लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस, केस से कंपनी, न्यू एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेटर नोएडा और एमआरएफ टायर कंपनी की ओर उनके प्रतिनिधियों ने चयन किया।

घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेंगे 25 हजार रुपए : अर्चना

नवभारत न्यूज

मुरैना, 9 जुलाई। रोड एक्सीडेंट में जख्मी होने वाले को तत्काल अस्पताल पहुंचानें वाले व्यक्ति को सरकार की राहवीर योजना के तहत 25 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। यह बात आरटीओ श्रीमती अर्चना परिहार ने यात्री बसों में सफर करने वाले मुसाफिरों एवं वाहन चालकों से कही।

राहवीर योजना के प्रचार-प्रसार को आरटीओ ने बांटे पेम्पलेट, चिपकाए स्टीकर

आरटीओ श्रीमती परिहार ने राहवीर योजना के प्रचार-प्रसार के लिए एनएच-44 हाईवे स्थित छौंदा टोलप्लाजा से गुजरने वाले यात्री वाहनों में सवार मुसाफिरों को योजना के बारे में बताया। उन्होंने योजना से संबंधित पोस्टर, पेम्पलेट बांटे और वाहनों पर स्टीकर भी लगाए गए। इस दौरान उनके साथ शैलेन्द्र सिंह भदौरिया, गोविन्द सिंह चौहान, आशीष शर्मा सहित अन्य परिवहन कार्यालयीन कर्मचारी उपस्थित थे। श्रीमती अर्चना परिहार ने बताया कि राहवीर योजना रोड एक्सीडेंट के दौरान मृतकों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा शुरू की गई है। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना मे गंभीर रूप से घायल को गोल्डन हावर (दुर्घटना के 1 घंटे के अंदर) अस्पताल पहुंचाएगा तो उसको 25 हजार रूपये नगद मिलेंगे, साथ ही प्रमाण-पत्र भी दिया जावेगा। इन राहवीरों मे से ही सबसे योग्य 10 लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रूपये और मिलेंगे। व्यक्तियों का चयन कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। उक्त योजना की अवधि 31 मार्च 2026 तक है।

बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार सर्वोपरि : त्रिपाठी

नवभारत न्यूज

मुरैना/जौरा, 9 जुलाई। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन और द्वितीय जिला न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी के आदेशानुसार ग्राम मानपुर में घर-घर जागृति योजना के तहत सपेरा समुदाय के लोगों के बीच बुधवार को विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जनपद पंचायत जौरा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से आयोजित हुआ।

घर-घर जागृति योजना के तहत मानपुर में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित

शिविर में महेश कुमार त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने बताया कि बालकों के अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार सर्वोपरि है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। शिविर में उपस्थित मनमोहन सिंह कौरव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संवैधानिक प्रावधानों में आरक्षण, शिक्षा, सामाजिक न्याय, और प्रशासन से संबंधित विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।

इन संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है।

शिविर के दौरान ग्रामीणजन द्वारा अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि समस्याओं के बारे में न्यायाधीशगण को अवगत करते हुए कहा कि हमारे उक्त दस्तावेज नहीं बन पा रहे हैं तो मौके पर उपस्थित प्रशासनिक टीम के अधिकारीगणों एवं कर्मचारीगणों को निर्देशित करते कहां कि इन लोगों के जरूरी दस्तावेज जल्द से जल्द बनवाए जाने की प्रक्रिया संपूर्ण की जाए। शिविर में सरपंच नरेंद्र सिकरवार, श्रीमति संदीपा शर्मा, श्रीमति आरती राजपूत परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास, मानवेंद्र सिकरवार पटवारी, ओमप्रकाश कंषाना, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

12 शिक्षकों समेत एक भृत्य का एक-एक दिन का वेतन कटेगा

नवभारत न्यूज

मुरैना, 9 जुलाई। कलेक्टर के मार्गदर्शन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कमलेश कुमार भार्गव ने बुधवार को एकीकृत शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय जौरा खुर्द और शासकीय माध्यमिक विद्यालय चंबल कॉलोनी का आकस्मिक निरीक्षण किया।

जिपं सीईओ की कार्रवाई, औचक निरीक्षण में स्कूल में मिली गंदगी, बैठक व्यवस्था थी अस्त-व्यस्त

निरीक्षण के दौरान विद्यालय में साफ-सफाई नहीं पाई गई एवं बच्चों के बैठने की व्यवस्था अस्त-व्यस्त पायी गई। इस पर उन्होंने 12 शिक्षकों सहित 1 भृत्य का एक-एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये।

जिला सीईओ ने एकीकृत शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय जौराखुर्द का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में साफ-सफाई न होने पर शिक्षिका श्रीमती आलोरिया निकुंज, माध्यमिक शिक्षक श्रीमती गीता त्रिपाठी, श्रीमती मेनका शर्मा, श्रीमती रीनू सिकरवार, श्रीमती नीलकमल दुबे, श्रीमती कोमल यादव, श्रीमती कल्पना सिकरवार, लोकेन्द्र सेंगर, श्रीमती कल्पना शर्मा, श्रीमती नीता गुप्ता, श्रीमती उर्मिला कुशवाह और भृत्य रामनरेश का एक-एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये। इसी प्रकार शासकीय माध्यमिक विद्यालय चंबल कॉलोनी मुरैना में विद्यालय का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर निरीक्षण में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इस पर माध्यमिक शिक्षक रामनरेश डंडोतिया का एक दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किये है।

सबलगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन आज

मुरैना, 9 जुलाई। शासन के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कमलेश कुमार भार्गव के मार्गदर्शन में रोजगार मेले का आयोजन 11 जुलाई तक अलग-अलग विकासखण्डों में निर्धारित किया गया है। यह रोजगार मेला प्रात: 10 से सायं 4 बजे तक आयोजित किये जायेंगे। जिनमें सबलगढ़ विकासखंड का रोजगार मेला जनपद पंचायत हॉल सबलगढ़ में 10 जुलाई को सुबह 10 से सायं 4 बजे आयोजित होगा। अधिक जानकारी के लिए विकासखण्ड प्रबंधक विमल कुमार सिंह के नंबर 8349901378 पर संपर्क किया जा सकता है।

ट्रेनिंग में बारीकियां सीखें, जिससे वोटर लिस्ट में त्रुटियां न हों

नवभारत न्यूज

मुरैना, 9 जुलाई। निर्वाचन आयोग द्वारा 7 जुलाई से 13 जुलाई तक मुरैना जिले की 6 विधानसभाओं के लिये सभी बीएलओ का प्रशिक्षण निर्धारित स्थानों पर दिया जा रहा है। प्रशिक्षण को बीएलओ भलीभांति प्राप्त करें ताकि निर्वाचित नामावली में कोई त्रुटि न हो सके।

यह बात उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीबी प्रसाद ने प्रशिक्षण के दौरान बुधवार को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मुरैना में कही। इस अवसर पर दिमनी, मुरैना और सुमावली के 50-50 बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा सभी बीएलओ को निर्वाचक नामावली और चुनाव में कराये जाने वाले कार्य के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ बारीकियों को सीखें, समझ न आये तो मास्टर ट्रेनर्स से बार-बार पूछें। निर्वाचन जैसे कार्य में किसी प्रकार की गलती क्षम्य नहीं होगी।

10 आदतन अपराधी जिलाबदर घोषित

नवभारत न्यूज

मुरैना, 9 जुलाई। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के प्रतिवेदन पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले 10 आदतन अपराधियों को जिलाबदर घोषित किया है। इन अपराधियों को 1 वर्ष के लिए मुरैना सहित ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी और भिंड जिलों की सीमा से बाहर जाने के आदेश जारी किए गए है।

एसपी के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी ने दिए आदेश

जिलाबदर घोषित किए गए अपराधियों में हेमंत उर्फ बड़े बाल्मीक पुत्र राकेश नि. उत्तमपुरा मुरैना, निर्भय सिंह सिकरवार पुत्र विजय सिंह नि. तालपुर मुरैना, राधाकृष्ण पुत्र रघुवीर शर्मा नि. कुम्हेरी बागचीनी, सुरेश पुत्र वीर सिंह नि. रंछोर का पुरा गलेथा, बागचीनी, बालस्टर सिंह पुत्र हरीसिंह सिकरवार नि. रंछोर का पुरा गलेथा, बागचीनी, भूरा उर्फ पहलवान गुर्जर पुत्र रामभरोषी गुर्जर नि. जैतपुर सरायछौला, दुर्गेश उर्फ पिल्लू नाई पुत्र शिरोमणि श्रीवास नि. गुधैनिया थोक अंबाह, संतोष उर्फ पुच्चो चौहान पुत्र अनेक सिंह चौहान नि. ग्राम दोहरी अंबाह, सुनील सिंह तोमर पुत्र जितवार सिंह नि. ग्राम बरेह अंबाह और उमेश उर्फ फोदा शर्मा पुत्र महेश शर्मा नि. ग्राम जल का नगरा अंबाह को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर घोषित किया गया है।

कवि तेजनारायण बेचैन को 26 को मिलेगा प्रेम वाणी सम्मान

नवभारत न्यूज

मुरैना/जौरा, 9 जुलाई। देशभर में प्रख्यात हास्य व्यंग्य कवि जौरा नगर के रहने वाले तेजनारायण बेचैन को आगामी 26 जुलाई को प्रेम वाणी सम्मान से नवाजा जाएगा। उन्हें यह सम्मान यूपी के मेरठ में स्वामी चिदानंद महाराज द्वारा प्रदान किया जाएगा।

स्वामी चिदानंद महाराज देंगे सम्मान

उनके द्वारा बतौर सम्मान 1 लाख 51 हजार रूपये की राशि, सम्मान पत्र, अंग वस्त्र और उपहार निधि कवि तेजनारायण शर्मा को भेंट की जाएगी। बताना जरूरी होगा कि कवि बेचैन को इससे पहले काका हाथरसी, हास्य रतन सहित अन्य सम्मानों से नवाजा जा चुका है। प्रेम वाणी सम्मान से नवाजे जाने वाले वे पहले हास्य व्यंग्य कवि होंगे। यह जानकारी प्रेम वाणी फाउंडेशन के सचिव अजय प्रेमी और कोषाध्यक्ष श्याम मोहन गुप्ता ने दी।

श्री बांके बिहारी जी मंदिर की प्रबंध समिति का गठन

मुरैना, 9 जुलाई। उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर रिट पिटीशन के तहत मंदिर श्री बांके बिहारी महाराज मुरैना और उससे जुड़ी समस्त संपत्ति की देखभाल, मंदिर में आयोजित होने वाले नियमित, साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक मेले, त्यौहारों के लिए कलेक्टर ने समिति का गठन किया है। यह रिट पिटीशन कुलदीप शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा द्वारा 31 अगस्त 2023 को लगाई गई थी। समिति में पदेन अध्यक्ष कलेक्टर मुरैना होंगे। पदेन सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम, अनुविभागीय अधिकारी मुरैना, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, सीएमएचओ, सहायक संचालक जनसम्पर्क, तहसीलदार मुरैना को नियुक्त किया है। जबकि नामांकित सदस्यों में शनि मंदिर पुजारी और श्री बिहारी जी मंदिर सराफा बाजार मुरैना को नियुक्त किया है। सदस्य५/सचिव के रूप में प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर (माफी औकाफ अथवा देवस्थान शाखा) को नियुक्त किया है।

आम सूचना

श्री सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री लोकेन्द्र सिंह यादव के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पति भूखण्ड, स्थित ब्लॉक-जौरा, ग्राम जौरा, प.ह.नं.55, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) में है जो नगर पंचायत जौरा वार्ड क्र .18 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र .944/2, 956/2 एवं 958 ग्राम जौरा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में भूखण्ड राजवीर, पश्चिम में भूखण्ड सरोज बिंदी, उत्तर में रास्ता 15 फुट चौड़ा एवं दक्षिण में रास्ता 20 फुट चौड़ा है। उक्त सम्पति एवं संलग्न अन्य सम्पति पूर्व में श्री सुरेन्द्रकुमार, श्री राजेन्द्रकुमार पुत्रगण श्री सियाराम, श्री वीरेन्द्रकुमार, श्री शैलेन्द्रकुमार पुत्रगण श्री मुरारीलाल, श्री रामलखन उपाध्याय पुत्र श्री लक्ष्मण उपाध्याय, श्री विनोद यादव पुत्र श्री रूपसिंह के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री सुरेन्द्रकुमार, श्री राजेन्द्रकुमार, श्री रामलखन उपाध्याय एवं श्री विनोद यादव द्वारा उक्त सम्पति श्री सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री लोकेन्द्र सिंह यादव को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र . एमपी25822021 ए1759162 दिनांक 07.09.2021 से विक्रय की गई। श्री सुरेन्द्र यादव द्वारा उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान शुभम हाउसिंग डवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम, निकाय अथवा उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास
सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710

एक नजर में

जिले में अब तक 350 .4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

मुरैना, 9 जुलाई। मुरैना जिले में 01 जून से 09 जुलाई तक 350 .4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 144 .5 मिलीमीटर वर्षा अधिक है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 205 .9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई थी। अधीक्षक भू-अभिलेख मुरैना ने बताया कि जिले में 01 जून से 09 जुलाई तक सर्वाधिक वर्षा मुरैना में 508 मिलीमीटर दर्ज की गई है। पोरसा में 404, सबलगढ़ में 376, जौरा में 313, कैलारस में 261 और अंबाह तहसील में सबसे कम 240 .4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। 9 जुलाई को सर्वाधिक 21 मिलीमीटर वर्षा मुरैना में दर्ज की गई है। जौरा में 2, मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जबकि पोरसा, अंबाह, कैलारस और सबलगढ़ में पिछले 24 घंटे में वर्षा निरंक बताई गई है।

अपहृता को किया बरामद

इन्दरगढ़। फरियादी ने उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट की कि मेरी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है, रिपोर्ट पर से अप .क्र . 150/25 धारा 137 (2) बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस कार्यवाही पुलिस अधीक्षक दतिया सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुनील कुमार शिवहरे एवं श्रीमान एसडीओपी महोदय सेवढ़ा श्री अजय चानना के मार्गदर्शन में थाना इंदरगढ़ पुलिस ने विवेचना के दौरान संबंधित स्थानों पर दबिश देकर बडी मैंहनत एवं लगन से अपहृता को दस्तयाब कर माननीय न्यायालय सेवढा में धारा 183 बीएनएसएस के कथन कराये गये।

श्री पीतांबरा पीठ के पास से अतिक्रमण हटाया

नवभारत न्यूज

दतिया, 9 जुलाई। पीताम्बरा माई के मंदिर के आसपास मिठाई, फूलमाला और अन्य दुकानों के अतिक्रमण से आवागमन में काफी परेशान हो रही थी यहां तक कि घण्टो जाम लगा रहता था। माँ पीताम्बरा पीठ पर प्रत्येक शनिवार को हजारो श्रृद्वालू दर्शन के लिए आते है इसी के चलते विगत पांच जुलाई को जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को मंदिर आने वाले श्रृद्धालुओं की सुविधा एवं यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि दुकानदारों और होटल संचालको से अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के निर्देश दिये थे।

इसी के चलते विगत दतिया नगर पालिका ने पीतांबरा पीठ के पास रोड पर अतिक्रमण कर दुकानें सजाए बैठे दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है। मंदिर के पास मैन रोड पर फूल मालाएं और प्रसाद वितरण काउंटर सजाने वाले दुकानदारों को नोटिस थमाए गए हैं। नगर पालिका का उद्देश्य शनिवार को मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं को जाम से छुटकारा दिलाना है। स्वच्छता प्रभारी टीम के साथ दुकानदारों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। नोटिस के बाद भी अतिक्रमण पाए जाने पर हर दिन जुर्माना लगाया जाएगा ओर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी।

नगर पालिका प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया था। परन्तु दुकानदारो ने आज दिनांक तक अपनी-अपनी दुकाने नहीं हटाई जिसके चलते नगर पालिका ने कर्मचारियों के साथ अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया और उनकी दुकाने हटाई उनका उद्देश्य शहर के प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाना है और इसके लिए सख्त कार्रवाई के लिये तैयार नजर आ रही है।

ग्राम पंचायत गढ़ी सचिव निलंबित

दतिया, 9 जुलाई। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े द्वारा आज ग्राम पंचायत गढी जनपद पंचायत दतिया का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव ग्राम पंचायत गढी श्री भगवत दांगी अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर द्वारा आपदा प्रबंधन एवं आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से निर्देशित किया गया था कि ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक अपने ग्राम/मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे एवं लगातार वर्षा की स्थिति में वही निवासरत रहते हुए आपदा की स्थिति में निरंतर जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेगे। उक्त निर्देशों के उपरांत भी श्री भगवत दांगी सचिव ग्राम पंचायत गढ़ी के कलेक्टर श्री वानखड़े के निरीक्षण दौरान अनुपस्थित होने से हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी एवं बाढ आपदा से संबधित जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी।